

भारतीय लेखा मानक 33

प्रति शेयर अर्जन

(इस भारतीय लेखा मानक में मोटे टाइप और साधारण टाइप में अनुच्छेद हैं, इन दोनों तरह के अनुच्छेदों का समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं।)

उद्देश्य

1. इस मानक का उद्देश्य प्रति शेयर अर्जन के निर्धारण तथा प्रस्तुतिकरण के लिए सिद्धांत प्रतिपादित करना है ताकि एक-जैसी रिपोर्टिंग अवधि में विभिन्न प्रतिष्ठानों तथा एक ही प्रतिष्ठान की विभिन्न रिपोर्टिंग अवधियों के बीच तुलनात्मक कार्यकुशलता को सुधारा जा सके। चाहे 'अर्जनों' के निर्धारण के लिए प्रयुक्त विभिन्न लेखा नीतियों के कारण प्रति शेयर अर्जन के आंकड़ों की सीमाएं हैं, फिर भी, एक निरंतर रूप से निर्धारित विभाजक (डिनोमिनेटर) वित्तीय रिपोर्टिंग को परिष्कृत करता है। अतः, इस मानक का केन्द्र- बिन्दु (फोकस) प्रति शेयर अर्जन की गणना के विभाजक (डिनोमिनेटर) पर है।

कार्यक्षेत्र

2. यह भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) उन कंपनियों पर लागू होता है जिन्होंने साधारण शेयर¹ जारी किए हैं, जिन पर कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) लागू हैं।

[देखें परिशिष्ट 1]

3. एक प्रतिष्ठान, जो प्रति शेयर अर्जन को प्रकट करता है, इस मानक के अनुसार प्रति शेयर अर्जन की गणना तथा प्रकटन करता है।
4. जब एक प्रतिष्ठान कमशः भारतीय लेखा मानक 110, *समेकित वित्तीय विवरण* और भारतीय लेखा मानक 27 *समेकित तथा पृथक वित्तीय विवरण* के अनुसरण में तैयार किये गये *समेकित व पृथक वित्तीय विवरण* दोनों को प्रस्तुत करता है तो इस मानक द्वारा अपेक्षित प्रकटन भी *समेकित व पृथक वित्तीय विवरणों* में प्रस्तुत किये जाएंगे। *समेकित विवरणों* में इस प्रकार के प्रकटन *समेकित सूचना और पृथक वित्तीय विवरणों* में इस प्रकार के प्रकटन

¹ भारतीय संदर्भ में शब्द 'साधारण शेयर' शब्दों 'इक्विटी शेयर' के तुल्य हैं।

पृथक वित्तीय विवरणों पर आधारित होंगे। एक प्रतिष्ठान समेकित वित्तीय विवरणों में प्रतिशेयर अर्जन पृथक वित्तीय विवरणों में इस सूचना के आधार पर और पृथक वित्तीय विवरणों में, प्रतिशेयर अर्जन समेकित वित्तीय विवरणों में दी गयी सूचना के आधार पर प्रस्तुत नहीं करेगा।

4 क. [देखें परिशिष्ट 1]

परिभाषाएं

5. इस मानक में प्रयुक्त शब्दावली यहां विनिर्दिष्ट अर्थों में प्रयुक्त की गयी है :

अनविमिश्रित (एन्टी-डायल्यूशन) प्रति शेयर आय में वृद्धि या प्रतिशेयर हानि में कमी है जो इस अवधारणा के परिणामस्वरूप है कि परिवर्तनीय लिखतें परिवर्तित कर दी गयी हैं, विकल्पों या वारंटों का प्रयोग किया गया है या साधारण शेयरों को निर्धारित शर्तों के पूरा होने पर जारी किया गया है।

एक *आकस्मिक शेयर करार* वह करार है जिसके आधार पर विशिष्ट शर्तें पूरी होने पर शेयर जारी किया जाना निर्भर करता है।

आकस्मिक निर्गमयोग्य साधारण शेयर वे साधारण निर्गमयोग्य शेयर हैं जो एक आकस्मिक शेयर करार में विनिर्दिष्ट शर्तों के पूरे होने पर कम अथवा बिना नकद अथवा अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमयोग्य हैं।

अविमिश्रण (डायल्यूशन) प्रति शेयर आय में कटौती या प्रतिशेयर हानि में वृद्धि इस अवधारणा के परिणामस्वरूप है कि परिवर्तनीय लिखतों को परिवर्तित कर दी गयी हैं, विकल्पों अथवा वारंटों का उपयोग किया गया है अथवा कि विनिर्दिष्ट शर्तों के पूरा होने पर साधारण शेयरों को निर्गमित किया गया है।

विकल्प, वारंट तथा उनके समतुल्य वे वित्तीय लिखतें हैं जो धारक को साधारण शेयरों का क्रय करने का अधिकार देती हैं।

एक *साधारण शेयर* एक 'इक्विटी' लिखत है जो 'इक्विटी' लिखतों की सभी अन्य श्रेणियों के अधीनस्थ है।

एक *संभाव्य साधारण शेयर* एक वित्तीय लिखत अथवा एक अन्य अनुबंध है जो इसके धारक को साधारण शेयरों के लिए हकदार बनाती है।

साधारण शेयरों पर बिक्री (*पुट*) *विकल्प* वे अनुबंधों हैं जो धारक को एक दी गयी अवधि के लिए और एक विनिर्दिष्ट मूल्य पर साधारण शेयरों को बेचने का अधिकार देती हैं।

6. साधारण शेयर, अवधि के लाभ में केवल तभी भागीदारी करते हैं जब अधिमानी शेयरों जैसे अन्य प्रकार के शेयरों ने भागीदारी कर ली हो। एक प्रतिष्ठान के पास साधारण शेयरों की एक से अधिक श्रेणियां हो सकती हैं। एक-जैसी श्रेणी के साधारण शेयरों का लाभांश प्राप्त करने का एक-जैसा अधिकार होता है।
7. संभाव्य साधारण शेयरों के उदाहरण इस प्रकार हैं :
 - (क) अधिमान शेयरों सहित, वित्तीय दायित्व अथवा 'इक्विटी' लिखतें जो साधारण शेयरों में परिवर्तनीय हैं;
 - (ख) विकल्प तथा वारंट;
 - (ग) ऐसे शेयर जो अनुबंधात्मक व्यवस्थाओं के परिणामस्वरूप, शर्तों के पूरे होने पर जारी किए जाएंगे, जैसे कि व्यवसाय अथवा अन्य आस्तियों की खरीद।
8. भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 32 *वित्तीय लिखतें : प्रस्तुतिकरण* में परिभाषित शब्दावली का प्रयोग इस लेखा मानक में भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 32 के अनुच्छेद 11 के अनुसार किया गया है जब तक कि कोई अन्यथा उल्लेख न किया गया हो। भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 32 वित्तीय लिखत, वित्तीय आस्ति, वित्तीय दायित्व एवं 'इक्विटी' लिखत को परिभाषित करने के साथ-साथ उन परिभाषाओं के प्रयोग के संबंध में दिशा-निर्देश प्रदान करता है। भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 113, *उचित मूल्य माप*, उचित मूल्य को परिभाषित करती है और उस परिभाषा के प्रयोग के लिए अपेक्षाएं निरूपित करता है।

माप

प्रति शेयर मूल अर्जन

9. एक प्रतिष्ठान, मूल प्रतिष्ठान के साधारण 'इक्विटी' धारकों से संबंधित लाभ अथवा हानि के लिए प्रति शेयर मूल अर्जन राशि की गणना करेगा तथा, यदि प्रस्तुत किया जाता है, इन 'इक्विटी' धारकों से संबंधित निरंतर परिचालनों से लाभ अथवा हानि के लिए भी प्रति शेयर मूल अर्जन राशि की गणना करेगा।
10. प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना अवधि के दौरान बकाया साधारण शेयरों यानि विभाजक (डीनोमिनेटर) की भारित औसत संख्या द्वारा मूल प्रतिष्ठान यानि विभाजक (न्यूमिरेटर) के साधारण 'इक्विटी' धारकों से संबंधित लाभ अथवा हानि को विभाजित करके की जायेगी।
11. प्रति शेयर सूचना का उद्देश्य मूल अर्जन रिपोर्टिंग अवधि में प्रतिष्ठान के कार्यनिष्पादन में एक मूल प्रतिष्ठान के प्रत्येक साधारण शेयर के हितों का उपाय प्रदान करना है।

अर्जन

12. प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित के संबंध में मूल प्रतिष्ठान के साधारण 'इक्विटी' धारकों से संबंधित राशि :

(क) मूल प्रतिष्ठान से संबंधित निरंतर परिचालनों से लाभ अथवा हानि; तथा

(ख) मूल प्रतिष्ठान से संबंधित लाभ अथवा हानि ।

अधिमान लाभांशों, अधिमान शेयरों के निपटान से उत्पन्न अंतरों तथा 'इक्विटी' के रूप में वर्गीकृत अधिमान शेयरों के अन्य प्रकार के इसी प्रभावों के लिए करोपरान्त समायोजित की गई (क) तथा (ख) की राशियां होंगी ।

जहां आय या व्यय की कोई मद जिसे भारतीय लेखा मानकों के अनुसरण में लाभ या हानि में अन्यथा मान्यता देना आवश्यक है उसे प्रतिशेयर मूल अर्जन की गणना के लिए प्रतिभूतियों के प्रीमियम खाता अन्य प्रारक्षित निधियों के नाम डाला जाना है या जमा किया जाना है उसके संबंध में राशि की चालू परिचालनों के लाभ या हानि में से काटी जाएगी ।

13. मूल प्रतिष्ठान के साधारण 'इक्विटी' धारकों से संबंधित आय तथा व्यय की सभी मदें, जिन्हें एक अवधि में बाध्यताओं के रूप में वर्गीकृत अधिमान शेयरों पर कर व्यय तथा लाभांशों सहित मान्यता दी जाती है, उन्हें मूल प्रतिष्ठान के साधारण 'इक्विटी' धारकों से संबंधित अवधि के लिए लाभ अथवा हानि निर्धारित करने में सम्मिलित किया जाता है। (देखें भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 1)

14. लाभ अथवा हानि में से अधिमान लाभांशों की करोपरांत राशि घटाकर इस प्रकार होगी :

(क) अवधि के संबंध में घोषित गैर-संचयी अधिमान शेयरों पर किन्हीं अधिमान लाभांशों की करोपरांत राशि; तथा

(ख) अवधि के लिए अपेक्षित संचयी अधिमान शेयरों के लिए अधिमान लाभांशों की करोपरांत राशि भले ही लाभांशों की घोषणा की गई है अथवा नहीं । अवधि के लिए अधिमान लाभांशों की राशि में गत अवधियों के संबंध में वर्तमान अवधि के दौरान प्रदत्त या घोषित संचयी अधिमान शेयरों के अधिमान लाभांशों की राशि सम्मिलित नहीं है।

15. एक प्रतिष्ठान द्वारा बट्टे पर अधिमान शेयर बेचने पर उसे जो प्रारम्भ में कम लाभांश मिलता है उसकी प्रतिपूर्ति के लिए और निवेशकों द्वारा प्रीमियम पर अधिमान शेयरों की खरीद करने पर उन्हें जो बाद की अवधियों में बाजार से अधिक लाभांश प्राप्त होता है, उसकी प्रतिपूर्ति के लिए जो अधिमान शेयर दिये जाते हैं उन्हें कभी-कभी बढ़ती दर के अधिमान शेयर कहा जाता है। बढ़ती दर पर अधिमान शेयरों के किसी निर्गम के मूल बट्टा अथवा प्रीमियम का प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके प्रतिधारित आय के लिए परिशोधित किया जाता है तथा प्रति शेयर अर्जन की गणना के प्रयोजन के लिए अधिमान लाभांश के

रूप में माना जाता है (इस पर विचार किये बिना कि क्या इस प्रकार के बट्टा अथवा प्रीमियम को कानून की अपेक्षाओं के ध्यान में रखते हुए प्रतिभूति प्रीमियम खाता में नामे (डेबिट) अथवा जमा (क्रेडिट) किया गया है या नहीं) ।

16. अधिमान शेयरों को एक प्रतिष्ठान के धारकों को निविदा (टेंडर) प्रस्ताव के अंतर्गत पुनः क्रय किया जा सकता है। अधिमान शेयरों की अग्रणीत (कैरिंग) राशि से अधिक अधिमान शेयरधारकों को अदा किये गए प्रतिफल के उचित मूल्य का अधिमूल्य अधिमान शेयरों के धारकों को प्रतिफल तथा प्रतिष्ठान के लिए रखे अर्जन के प्रभार का प्रतिनिधित्व करता है। मूल प्रतिष्ठान के साधारण 'इक्विटी' धारकों से संबंधित लाभ अथवा हानि की गणना में इस राशि की कटौती की जाती है।
17. परिवर्तनीय अधिमान शेयरों के पहले परिवर्तन को मूल परिवर्तन की मूल शर्तों में अनुकूल परिवर्तनों अथवा अतिरिक्त प्रतिफल के भुगतान के जरिये प्रतिष्ठान द्वारा प्रेरित किया जा सकता है। साधारण शेयरों के उचित मूल्य से अधिक अथवा परिवर्तन की मूल शर्तों के अंतर्गत निर्गमयोग्य साधारण शेयरों के ऊपर अन्य प्रतिफल का भुगतान अधिमान शेयरधारकों का प्रतिफल है तथा मूल प्रतिष्ठान के साधारण इक्विटीधारकों से संबंधित लाभ अथवा हानि की गणना में इसे घटाया जाता है।
18. 'इक्विटी' अधिग्रहण शेयरों के निपटान के लिए अदा किये गये प्रतिफल के उचित मूल्य से ऊपर अधिमान शेयरों की अग्रणीत (कैरिंग) राशि के किसी भी अधिक्य को मूल प्रतिष्ठान के साधारण 'इक्विटी' धारकों से संबंधित लाभ अथवा हानि की गणना में जोड़ा जाता है।

शेयर

19. प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना के प्रयोजन के लिए, साधारण शेयरों की संख्या अवधि के दौरान बकाया साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या होगी।
20. अवधि के दौरान, बकाया साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या का उपयोग इस संभावना को प्रतिबिंबित करता है कि किसी समय पर बकाया शेयरों की बड़ी अथवा छोटी संख्या के परिणामस्वरूप, अवधि के दौरान शेयरधारकों की पूंजी की राशि घटती-बढ़ती रहती है। अवधि के दौरान, बकाया साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या, अवधि के दौरान जारी अथवा वापस खरीदे गये साधारण शेयरों की संख्या जोकि समय भारित गुणक द्वारा गुणा द्वारा समायोजित कर अवधि के आरंभ पर बकाया साधारण शेयरों की गुणक है। समय भार गुणक दिनों की संख्या है जो कुल दिनों की संख्या के अनुपात में है और उनमें शेयर बकाया रहते हैं, कई परिस्थितियों में, भारित औसत का उचित अनुमान भी पर्याप्त होता है।
21. शेयरों को प्रायः प्राप्य प्रतिफल की तिथि (जो प्रायः उनके निर्गम की तिथि है) से शेयरों की भारित औसत संख्या में सम्मिलित किया जाता है। उदाहरण के लिए :

- (क) आमतौर पर नकदी के बदले जारी साधारण शेयरों को उस समय सम्मिलित किया जाता है जब नकदी प्राप्य हो ;
- (ख) साधारण अथवा अधिमान शेयरों पर लाभांशों के स्वैच्छिक पुनर्निवेश पर जारी साधारण शेयरों को उस समय सम्मिलित किया जाता है जब लाभांशों को पुनः निवेशित किया जाता है ;
- (ग) ऋण लिखत को साधारण शेयरों में परिवर्तित करने के परिणामस्वरूप जारी साधारण शेयरों को उस तिथि से सम्मिलित किया जाता है जब ब्याज अर्जित होना बंद हो जाता है;
- (घ) अन्य वित्तीय लिखतों पर ब्याज अथवा मूलधन के स्थान पर जारी साधारण शेयरों को उस तिथि से सम्मिलित किया जाता है जब ब्याज अर्जित होना बंद हो जाता है ;
- (ङ.) प्रतिष्ठान के दायित्व के निपटान के बदले जारी साधारण शेयरों को निपटान तिथि से सम्मिलित किया जाता है;
- (च) नकदी के अतिरिक्त, एक सम्पत्ति के अधिग्रहण के प्रतिफल के रूप में जारी साधारण शेयरों को अधिग्रहण की मान्यता की तिथि से सम्मिलित किया जाता है ; और
- (छ) प्रतिष्ठान को सेवाएं प्रदान करने के एवज में जारी साधारण शेयरों को तब सम्मिलित किया जाता है जब वे सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

साधारण शेयरों को सम्मिलित करने के समय का निर्धारण उनके निर्गम से जुड़ी नियम एवं शर्तों के द्वारा किया जाता है। निर्गम से जुड़ी किसी अनुबंध के सारत्व पर उचित रूप से विचार किया जाता है।

22. एक व्यावसायिक संयोजन में अंतरित प्रतिफल के भाग के रूप में जारी साधारण शेयरों को अधिग्रहण तिथि से शेयरों की भारित औसत संख्या में सम्मिलित किया जाता है। यह इसलिए क्योंकि अधिग्रहणकर्ता उस तिथि से अधिग्रहणिति के लाभ तथा हानि को अपनी लाभ तथा हानि विवरण में समाविष्ट करता है।
23. साधारण शेयर जिन्हें अनिवार्य परिवर्तनीय लिखत के परिवर्तन पर जारी किया जाता है उन्हें अनुबंध के प्रारंभ की तिथि से प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना में सम्मिलित किया जाता है।
24. आकस्मिक रूप से जारीयोग्य शेयरों को बकाया के रूप में माना जाता है तथा उन्हें केवल उस तिथि से प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना में सम्मिलित किया जाता है जब सभी आवश्यक शर्तें पूरी हो जाती हैं (अर्थात् जब घटनाएं घटित होती हैं)। शेयर जो केवल समय व्यतीत होने के पश्चात् जारीयोग्य हैं वे आकस्मिक रूप से जारीयोग्य शेयर नहीं हैं क्योंकि समय का व्यतीत होना एक निश्चितता है। बकाया साधारण शेयर जो आकस्मिक रूप से

वापसीयोग्य हैं (अर्थात् जिनकी वापस मांग की जा सकती है) उन्हें बकाया नहीं माना जाता है और प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना से अलग कर दिया जाता है लेकिन तब जब तक वे कि शेयर वापस काल कर नहीं लिये जाते ।

25. [देखें परिशिष्ट 1]

26. प्रस्तुत एक या सभी अवधियों के दौरान बकाया साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या को उन घटनाओं के लिए, संभाव्य साधारण शेयरों के परिवर्तन के अतिरिक्त, समायोजित किया जायेगा जिन्हें संसाधनों में तदनुरूपी परिवर्तन के बिना बकाया साधारण शेयरों की संख्या अविमिश्रित हो गयी है।

27. संसाधनों में तदनुरूपी परिवर्तन किये बिना, साधारण शेयरों को जारी किया जा सकता है, अथवा बकाया साधारण शेयरों की संख्या में कमी आ सकती है। उदाहरणों में सम्मिलित हैं :

(क) एक पूंजीकरण अथवा बोनस निर्गम (जिसे कभी-कभी स्टॉक लाभांश के रूप में संदर्भित किया जाता है) ;

(ख) किसी अन्य निर्गम में एक बोनस तत्व, उदाहरण के लिए मौजूदा शेयरधारकों को अधिकार निर्गम में बोनस तत्व ;

(ग) शेयर विभाजन ; और

(घ) शेयर विभाजन को उलटना (शेयरों के समेकन) ।

28. पूंजीकरण अथवा बोनस निर्गम अथवा शेयर विभाजन में साधारण शेयरों को बिना किसी अतिरिक्त प्रतिफल के मौजूदा शेयरधारकों को जारी किया जाता है, अतः, बकाया साधारण शेयरों की संख्या संसाधनों में वृद्धि के बिना बढ़ जाती है। घटना से पूर्व, बकाया साधारण शेयरों की संख्या को बकाया साधारण शेयरों की संख्या में अनुपातिक परिवर्तन के साथ इस तरह समायोजित किया जाता है मानो कि वह घटना प्रस्तुत सबसे पुरानी पहले की अवधि के आरंभ में हुई हो । उदाहरण के लिए, एक निर्गम के बोनस के लिए दो बोनस निर्गम से पूर्व बकाया साधारण शेयरों की संख्या को साधारण शेयरों की कुल नई संख्या को प्राप्त करने के लिए तीन द्वारा गुणा किया जाता है।

29. साधारण शेयरों का समेकन सामान्यतया संसाधन में तदनुरूपी कमी के बिना भी बकाया साधारण शेयरों की संख्या को कम करता है। फिर भी, जब समग्र प्रभाव उचित मूल्य पर शेयरों की पुनर्खरीद हो तो बकाया साधारण शेयरों की संख्या में कमी संसाधनों में तदनुरूपी कमी के परिणामस्वरूप होगी । इसका एक उदाहरण यह है जब विशेष लाभांश के साथ शेयर समेकन सम्मिलित हो । अवधि, जिसमें संयुक्त लेनदेन होता है, उसके बकाया साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या को विशेष लाभांश की मान्यता की तिथि से साधारण शेयरों की संख्या में कटौती के लिए समायोजित किया जाता है।

प्रति शेयर अविमिश्रित अर्जन

30. एक प्रतिष्ठान मूल प्रतिष्ठान के साधारण 'इक्विटी' धारकों से संबंधित लाभ अथवा हानि के लिए प्रति शेयर अविमिश्रित की गणना करेगा और यदि प्रस्तुत किया जाता है तो उन 'इक्विटी' धारकों से संबंधित निरंतर परिचालनों से लाभ अथवा हानि की गणना करेगा।
31. प्रति शेयर अविमिश्रित की गणना के प्रयोजन के लिए, एक प्रतिष्ठान मूल प्रतिष्ठान के साधारण 'इक्विटी' धारकों से संबंधित लाभ अथवा हानि तथा सभी अविमिश्रित संभाव्य साधारण शेयरों के प्रभावों के लिए बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को समायोजित करेगा।
32. प्रति शेयर अविमिश्रितों का उद्देश्य, अवधि के दौरान बकाया सभी अविमिश्रित संभाव्य साधारण शेयरों के हितों को प्रभाव देते हुए एक प्रतिष्ठान के कार्यनिष्पादन में प्रत्येक साधारण शेयर के हित के माप के लिए, प्रति शेयर मूल अर्जनों के अनुसार है। इसके परिणामस्वरूप :
- (क) मूल प्रतिष्ठान के साधारण 'इक्विटी' धारकों से संबंधित लाभ अथवा हानि को अविमिश्रित संभाव्य साधारण शेयरों के संबंध में अवधि में मान्यता प्राप्त लाभांश तथा ब्याज की करोपरांत राशि के द्वारा बढ़ाया जाता है तथा आय अथवा व्यय में परिवर्तन के किसी अन्य परिवर्तन के लिए समायोजित किया जाता है जो अविमिश्रित संभाव्य साधारण शेयरों के परिवर्तन का परिणाम होगा; तथा
- (ख) बकाया साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या को अतिरिक्त साधारण शेयरों को अविमिश्रित की संख्या द्वारा बढ़ाया जाता है, यह मानकर कि सभी अविमिश्रित संभाव्य साधारण शेयरों का परिवर्तन होगा।

अर्जन

33. प्रति शेयर अविमिश्रितों की गणना के प्रयोजन के लिए, एक प्रतिष्ठान मूल प्रतिष्ठान के साधारण 'इक्विटी' धारकों से संबंधित लाभ अथवा हानि को समायोजित करेगा जैसा कि निम्नलिखित अनुसार करोपरांत प्रभाव के द्वारा अनुच्छेद 12 के अनुसार गणना की जाती है।
- (क) मूल प्रतिष्ठान के साधारण 'इक्विटी' धारकों से संबंधित लाभ अथवा हानि पर निकालने में घटायी गयी अविमिश्रित संभाव्य साधारण शेयरों से संबंधित कोई भी लाभांश अथवा अन्य मदें जैसा कि अनुच्छेद 12 के अनुसार गणना की गयी है ;
- (ख) अविमिश्रित संभाव्य साधारण शेयरों से संबंधित अवधि में मान्य कोई भी ब्याज ; तथा

(ग) आय या व्यय में कोई अन्य परिवर्तन जो अविमिश्रित संभाव्य साधारण शेयरों के परिवर्तन के परिणामस्वरूप होंगे।

34. संभाव्य साधारण शेयरों को साधारण शेयरों में अविमिश्रित करने के पश्चात्, अनुच्छेद 33 (क)-(ग) में पहचानी गयी मद्दे अब उत्पन्न नहीं होती हैं। इसकी बजाय, नये साधारण शेयर मूल प्रतिष्ठान के साधारण 'इक्विटी' धारकों से संबंधित लाभ तथा हानि में सहभागिता के लिए हकदार हैं। अतः मूल प्रतिष्ठान के साधारण 'इक्विटी' धारकों से संबंधित लाभ अथवा हानि को, जिसकी गणना अनुच्छेद 12 के अनुसार की गई है, अनुच्छेद 33 (क)-(ग) में पहचानी गयी मद्दे तथा किन्हीं संबंधित करों को समायोजित किया जाता है। संभाव्य साधारण शेयरों से संबंधित व्यय में प्रभावी ब्याज पद्धति के अनुसार लेखांकित लेन-देन लागतें तथा बट्टे सम्मिलित हैं (देखें भारतीय लेखा मानक 109)
35. संभाव्य साधारण शेयरों का परिवर्तन आय अथवा व्यय में परिणामस्वरूपी परिवर्तन की तरफ ले जा सकता है। उदाहरण के लिए, संभाव्य साधारण शेयरों से संबंधित ब्याज व्यय में कमी तथा इसके परिणामस्वरूप लाभ में वृद्धि अथवा हानि में कटौती एक गैर स्वैच्छिक कर्मचारी लाभ हिस्सा योजना से संबंधित व्यय में वृद्धि की तरफ ले जा सकता है। प्रति शेयर अविमिश्रित की गणना के प्रयोजन के लिए, मूल प्रतिष्ठान के साधारण 'इक्विटी' धारकों से संबंधित लाभ अथवा हानि को आय अथवा व्यय में इस प्रकार के किसी परिणामस्वरूपी परिवर्तन के लिए समायोजित किया जाता है।

शेयर

36. प्रति शेयर अविमिश्रित अर्जनों की गणना के प्रयोजन के लिए, साधारण शेयरों की संख्या अनुच्छेद 19 तथा 26 के अनुसार आकलित साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या के साथ-साथ सभी अविमिश्रित संभाव्य साधारण शेयरों को साधारण शेयरों में परिवर्तन पर जारी किये जाने वाले साधारण शेयर की भारित औसत संख्या होगी। अविमिश्रित संभाव्य साधारण शेयरों को अवधि के आरंभ पर अथवा यदि बाद में संभाव्य साधारण शेयरों की जारी करने की तिथि पर साधारण शेयरों में परिवर्तित हुआ माना जाएगा।
37. अविमिश्रित संभाव्य साधारण शेयरों का निर्धारण प्रस्तुत प्रत्येक अवधि के लिए स्वतंत्र रूप से किया जायेगा। वर्ष-से-तिथि अवधि में सम्मिलित अविमिश्रित संभाव्य साधारण शेयरों की संख्या प्रत्येक अंतरिम गणना में सम्मिलित अविमिश्रित संभाव्य साधारण शेयरों का भारित औसत नहीं है।
38. संभाव्य साधारण शेयरों को उस अवधि के लिए भारित किया जाता है जिसमें वे बकाया है। संभाव्य साधारण शेयर को, जिन्हें निरस्त किया जाता है, अथवा अवधि के दौरान कालातीत होने दिया जाता है, प्रति शेयर अविमिश्रित की गणना के लिए अवधि की केवल उस भाग में सम्मिलित किया जाता है, जिसमें वे बकाया थे। अविमिश्रित संभाव्य साधारण शेयरों, जिन्हें अवधि के दौरान साधारण शेयरों में परिवर्तित किया जाता है, अवधि के आरंभ से परिवर्तन

की तिथि तक प्रति शेयर अविमिश्रित अर्जनों की गणना में सम्मिलित किया जाता है, परिणामतया साधारण शेयरों को दोनों प्रति शेयर मूलभूत तथा अविमिश्रित अर्जनों में सम्मिलित किया जाता है।

39. साधारण शेयरों की संख्या जिसे अविमिश्रित संभाव्य साधारण शेयरों के परिवर्तन पर जारी किया जाना है उन्हें संभाव्य साधारण शेयरों की शर्तों से निर्धारित किया जाता है। जब परिवर्तन के एक से अधिक आधार मौजूद होते हैं तो गणना संभाव्य साधारण शेयरों के धारकों के मत से सर्वाधिक लाभप्रद परिवर्तन दर पर अथवा प्रयोग मूल्य को ग्रहण करती है।
40. एक अनुषंगी प्रतिष्ठान, संयुक्त उद्यमी अथवा सहयोगी प्रतिष्ठान, मूल प्रतिष्ठान उद्यमी अथवा ऐसे निवेशक से जिनका निवेशिती के साथ संयुक्त नियंत्रण या उस पर महत्वपूर्ण प्रभाव है, को छोड़कर अन्य पक्षों पार्टियों को संभाव्य साधारण शेयर जारी कर सकता है जो सहायक, संयुक्त उद्यमी अथवा सहयोगी प्रतिष्ठान प्रतिष्ठान के साधारण शेयर अथवा मूल प्रतिष्ठान अथवा ऐसे निवेशक जिनका निवेशिती के साथ संयुक्त नियंत्रण है या उस पर महत्वपूर्ण प्रभाव है, (रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान) के साधारण शेयरों में परिवर्तनीय हैं। यदि अनुषंगी प्रतिष्ठान, संयुक्त उद्यमी अथवा सहयोगी प्रतिष्ठान के इन संभाव्य साधारण शेयर को रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान का प्रति शेयर मूल अर्जन का अविमिश्रित प्रभाव है उन्हें प्रति शेयर अविमिश्रित की गणना में सम्मिलित किया जाता है।

अविमिश्रित संभाव्य साधारण शेयर

41. संभाव्य साधारण शेयरों को अविमिश्रित माना जायेगा जब, तथा केवल जब, उनका साधारण शेयरों में परिवर्तन जारी परिचालनों से प्रति शेयर अर्जन कम हो जाएगा अथवा प्रति शेयर हानि में वृद्धि होगी।
42. एक प्रतिष्ठान मूल प्रतिष्ठान से संबंधित चालू परिचालनों से लाभ अथवा हानि को नियंत्रण संख्या के रूप में प्रयोग करता है ताकि यह स्थापित किया जा सके कि क्या संभाव्य साधारण शेयर अविमिश्रित (डायल्यूटिव) हैं अथवा अनविमिश्रित (एन्टी-डायल्यूटिव) हैं। मूल प्रतिष्ठान से संबंधित चालू परिचालनों से लाभ अथवा हानि को अनुच्छेद 12 के अनुसार समायोजित किया जाता है और बंद परिचालनों से संबंधित मदों को सम्मिलित नहीं किया जाता।
43. संभाव्य साधारण शेयर अनविमिश्रित (एन्टी डायल्यूटिव) हैं जब उनका साधारण शेयरों में परिवर्तन चालू परिचालनों से प्रति शेयर अर्जन को बढ़ाता है अथवा प्रति शेयर हानि को घटाता है। प्रति शेयर अविमिश्रित की गणना संभाव्य साधारण शेयरों के परिवर्तन, प्रयोग अथवा अन्य निर्गम के स्वरूप को ग्रहण नहीं करता जिसका प्रति शेयर अर्जन पर अनविमिश्रित (एन्टी डायल्यूटिव) प्रभाव हो।
44. यह निर्धारित करने के लिए कि संभाव्य साधारण शेयर क्या अविमिश्रित (डायल्यूटिव) अथवा अनविमिश्रित (एन्टी डायल्यूटिव) हैं, प्रत्येक निर्गम अथवा संभाव्य साधारण शेयरों की

शृंखला को पूर्ण की बजाय पृथक रूप से विचार किया जाता है। वह क्रम जिसमें से संभाव्य साधारण शेयरों पर विचार किया जाता है प्रभावित कर सकते हैं कि क्या वे अविमिश्रित हैं। अतः, प्रति शेयर मूल अर्जन की अविमिश्रितता को अधिकतम करने के लिए, प्रत्येक निर्गम अथवा संभाव्य साधारण शेयरों की शृंखला को सबसे अधिक अविमिश्रित से सबसे कम अविमिश्रितता के क्रम में विचार किया जाता है अर्थात् प्रति वृद्धिशील शेयर न्यूनतम अर्जन के साथ अविमिश्रित संभाव्य साधारण शेयरों को प्रति वृद्धिशील शेयर उच्चतर अर्जन से पूर्व प्रति शेयर अविमिश्रित गणना में सम्मिलित किया जाता है। विकल्पों तथा वारंटों को सामान्यतया पहले सम्मिलित किया जाता है क्योंकि वे गणना के गणक को प्रभावित नहीं करते हैं।

विकल्पों, वारंटों तथा उनके समतुल्यों

45. प्रति शेयर अविमिश्रित की गणना के प्रयोजन के लिए, एक प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान के अविमिश्रित विकल्पों तथा वारंटों का प्रयोग करेगा। इन लिखतों से मानी गई राशि को अवधि के दौरान साधारण शेयरों की औसत बाजार मूल्य पर साधारण शेयरों के निर्गम से प्राप्त हुआ माना जाता है। जारी साधारण शेयरों की संख्या तथा साधारण शेयरों की संख्या जिसके बीच का अंतर को अवधि के दौरान साधारण शेयरों की औसत बाजार मूल्य पर जारी किया जाता तो उन्हें प्रतिफल के बिना एक साधारण शेयरों के निर्गम के रूप में माना जाएगा।
46. विकल्प तथा वारंट अविमिश्रित हैं जब वे अवधि के दौरान साधारण शेयरों को औसत बाजार मूल्य से कम के लिए साधारण शेयरों के निर्गम में परिणत होंगे। परिवर्तनीयता की राशि अवधि के दौरान निर्गम मूल्य कम करके साधारण शेयरों का औसत बाजार मूल्य है। इसलिए, प्रति शेयर अविमिश्रित की गणना के लिए संभाव्य साधारण शेयर निम्नलिखित दोनों के संयोग से निर्मित माने जाते हैं :
 - (क) अवधि के दौरान, उनके औसत बाजार मूल्य पर साधारण शेयरों की निश्चित संख्या को जारी करने का एक अनुबंध। इस प्रकार के साधारण शेयरों को उचित मूल्यतः, तथा न ही तो अविमिश्रित और न ही अनविमिश्रित (एन्टी डायल्यूटिड) माना जाता है। उन्हें प्रति शेयर अविमिश्रित की गणना के लिए अनदेखा किया जाता है।
 - (ख) बिना प्रतिफल के साधारण शेयरों को जारी करने का एक अनुबंध। इस प्रकार के साधारण शेयर कोई राशि सृजित नहीं करते तथा बकाया साधारण शेयरों से संबंधित लाभ अथवा हानि पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः, इस प्रकार के शेयर अविमिश्रित हैं तथा प्रति शेयर अविमिश्रित की गणना में बकाया साधारण शेयरों की संख्या में जोड़ा जाता है।
47. विकल्पों तथा वारंटों का अविमिश्रित प्रभाव केवल तभी है जब अवधि के दौरान साधारण शेयरों का औसत बाजार मूल्य विकल्प अथवा वारंट की मूल्य से अधिक होता है (अर्थात्

तभी जब वे 'धन में' हैं)। पहले से रिपोर्ट किये गये प्रति शेयर अर्जन को साधारण शेयरों की मूल्यों में परिवर्तनों को प्रदर्शित करने के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव से समायोजित नहीं किया जाता।

- 47क. वे शेयर विकल्प तथा अन्य शेयर आधारित भुगतान व्यवस्थाएं जिन पर भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 102 *शेयर आधारित भुगतान* लागू होता है, अनुच्छेद 46 में संदर्भित निर्गम मूल्य तथा अनुच्छेद 47 में संदर्भित प्रयोग मूल्य में शेयर विकल्प तथा अन्य शेयर आधारित भुगतान व्यवस्था के अंतर्गत भविष्य में प्रतिष्ठान को आपूर्ति की जाने वाली किसी वस्तु अथवा सेवा के भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 102 के अनुसरण में मापे गये उचित मूल्य को सम्मिलित किया जायेगा।
48. निश्चित अथवा निर्धारण योग्य शर्तों के साथ कर्मचारी शेयर विकल्प तथा गैर निहित साधारण शेयरों को प्रति शेयर अविमिश्रित की गणना के विकल्प के रूप में माना जाता है चाहे वे निहित होने पर आकस्मिक हो सकते हैं। उन्हें देने की तिथि पर बकाया माना जाता है। कार्य-निष्पादन आधारित कर्मचारी शेयर विकल्पों को आकस्मिक रूप से जारीयोग्य शेयरों के रूप में माना जाता है क्योंकि उनका निर्गम समय के व्यतीत के अतिरिक्त विनिर्दिष्ट शर्तों की संतुष्टि पर प्रासंगिक है।

परिवर्तनीय लिखतें

49. परिवर्तनीय लिखतों का अविमिश्रित प्रभाव अनुच्छेद 33 तथा 36 के अनुसार प्रति शेयर अविमिश्रित में प्रतिबिंबित होगा।
50. परिवर्तनीय अधिमान शेयर अनविमिश्रित (एन्टी डायल्यूटिड) हैं जहां कहीं परिवर्तन पर प्राप्य प्रति साधारण शेयर वर्तमान अवधि के लिए इस प्रकार के शेयरों पर संचित अथवा घोषित शेयरों पर लाभांश की राशि प्रति शेयर मूल अर्जन से अधिक हो जाती है। इसी प्रकार, परिवर्तनीय ऋण अनविमिश्रित हैं जहां भी परिवर्तन पर प्राप्य प्रति साधारण शेयर इसके ब्याज (शुद्ध कर तथा आय या व्यय में अन्य परिवर्तन) प्रति शेयर मूल अर्जन से अधिक हो जाता है।
51. परिवर्तनीय अधिमान शेयरों का विमोचन अथवा प्रेरित परिवर्तन पहले से बकाया परिवर्तनीय अधिमान शेयरों के एक भाग को प्रभावित कर सकता है। इस प्रकार के मामले में, अनुच्छेद 17 से संदर्भित अधिक प्रतिफल उन शेयरों से जुड़ा है जो निर्धारण के प्रयोजन के लिए विमोचित अथवा अविमिश्रित किया जाता है चाहे शेष बकाया अधिमान शेयर अविमिश्रित हैं अथवा नहीं। विमोचित अथवा अविमिश्रित शेयरों को उन शेयरों से पृथक माना जाता है जो विमोचित अथवा अविमिश्रित शेयर नहीं हैं।

आकस्मिक निर्गमयोग्य शेयर

52. जैसा कि प्रति शेयर मूल अर्जनों की गणना में आकस्मिक रूप से जारी करने योग्य साधारण शेयरों को बकाया के रूप में माना जाता है तथा प्रति शेयर अविमिश्रित अर्जनों की गणना में सम्मिलित किया जाता है यदि शर्तें पूरी हों (अर्थात् घटनाएं हुई हैं)। आकस्मिक रूप से जारीयोग्य शेयर अवधि के प्रारंभ से सम्मिलित किये जाते हैं (आकस्मिक शेयर करार की तिथि से, यदि बाद में)। यदि शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो अविमिश्रित प्रति शेयर आकलन में सम्मिलित आकस्मिक जारीयोग्य शेयर उन शेयरों की संख्या पर आधारित हैं जोकि जारीयोग्य होगी। यदि अवधि की समाप्ति आकस्मिक अवधि की समाप्ति होगी। जब आकस्मिक अवधि समाप्त होने पर पुनर्कथन की तब तक अनुमति नहीं है जब तक शर्तें पूरी नहीं हो जाता।
53. यदि अवधि के लिए प्राप्तियों की विनिर्दिष्ट राशि की प्राप्ति अथवा रखरखाव आकस्मिक निर्गम की शर्त है तथा वह राशि रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर प्राप्त कर ली गई है तो अतिरिक्त अवधि के लिए रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति से उसका रखरखाव अवश्य किया जाए, तब अतिरिक्त साधारण शेयरों को बकाया के रूप में माना जाता है। यदि प्रभाव अविमिश्रित है जब प्रति शेयर परिवर्तन प्राप्तियों को आकलित किया जाता है। उस मामले में, प्रति शेयर अविमिश्रित प्राप्तियों का आकलन उन साधारण शेयरों की संख्या पर आधारित है जोकि तभी जारी किये जायेंगे यदि रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर अर्जन की राशि आकस्मिक अवधि की समाप्ति पर अर्जन की राशि भी होती है, क्योंकि अर्जनों में भविष्य की अवधियों में परिवर्तन हो सकता है, प्रति शेयर मूल अर्जनों का आकलन इस प्रकार आकस्मिक रूप से जारी किये गये शेयरों को जब तक सम्मिलित नहीं किया जाता जब तक आकस्मिक अवधि समाप्ति नहीं हो जाती क्योंकि सभी आवश्यक शर्तें पूरी नहीं हुई हैं।
54. आकस्मिक रूप से जारीयोग्य साधारण शेयरों की संख्या, साधारण शेयरों की भविष्य की बाजार मूल्य पर निर्भर हो सकती हैं। उस मामले में, यदि प्रभाव अविमिश्रित है, प्रति शेयर अविमिश्रित की गणना जारी किये जाने वाले साधारण शेयरों की उस संख्या पर आधारित है यदि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, बाजार मूल्य आकस्मिक अवधि के अंत की बाजार कीमत होती। यदि शर्त समय की अवधि के दौरान बाजार मूल्य के औसत पर आधारित है जो रिपोर्टिंग अवधि के बाद भी रहता है। उस समय की अवधि के लिए जो कालातीत हो गयी है, औसत का उपयोग किया जाता है। क्योंकि भविष्य में बाजार कीमत में परिवर्तन हो सकता है, अतः प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना में इस प्रकार के आकस्मिक जारीयोग्य साधारण शेयर तब तक सम्मिलित नहीं होते जब तक आकस्मिक अवधि की समाप्ति न हो क्योंकि सभी आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं किया गया है।
55. आकस्मिक निर्गम योग्य साधारण शेयरों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि उन साधारण शेयरों का भविष्य में अर्जन क्या है तथा उनकी भविष्य में कीमतें क्या होंगी। इस प्रकार के मामलों में साधारण शेयरों की संख्या में प्रति शेयर अविमिश्रित की गणना में दोनों ही शर्तें आधारित हैं (अर्थात् तिथि तक अर्जन तथा रिपोर्टिंग अवधि के अंत पर वर्तमान समय

कीमत)। आकस्मिक रूप से निर्गमयोग्य साधारण शेयरों को प्रति शेयर अविमिश्रित गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता जब तक कि दोनों शर्तें पूरी हो न गयी हो।

56. अन्य मामलों में, आकस्मिक निर्गमयोग्य साधारण शेयरों की संख्या बाजार मूल्य अथवा अर्जन के अतिरिक्त शर्त पर आधारित है। (उदाहरण के लिए, एक विनिर्दिष्ट संख्या तक खुदरा स्टोर खोलना)। इस प्रकार के मामलों में यह मान लिया जाता है कि शर्त की वर्तमान स्थिति में आकस्मिक अवधि के अंत तक कोई बदलाव नहीं होगा, आकस्मिक निर्गमयोग्य साधारण शेयरों के रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर स्थिति के अनुसार प्रति शेयर अविमिश्रित अर्जनों की गणना में सम्मिलित किया जाता है।
57. आकस्मिक रूप से निर्गमयोग्य संभाव्य साधारण शेयरों को (आकस्मिक शेयर करार द्वारा व्याप्त के अतिरिक्त, जैसा कि आकस्मिक निर्गम-योग्य परिवर्तनीय लिखतों) प्रति शेयर अविमिश्रित में निम्नलिखित अनुसार सम्मिलित किया जाता है :
- (क) एक प्रतिष्ठान निर्धारित करता है कि क्या संभाव्य साधारण शेयर को अनुच्छेद 52-56 में आकस्मिक साधारण शेयर के अनुसार उसके निर्गम के लिए विनिर्दिष्ट शर्तों के आधार पर निर्गमयोग्य माना जा सकता है, अथवा नहीं, तथा
- (ख) यदि उन संभाव्य साधारण शेयरों को प्रति शेयर अविमिश्रित में प्रतिबिंबित किया जाए तो एक प्रतिष्ठान यह निर्धारित करता है कि अनुच्छेदों 45-48 में विकल्पों व वारंटों के प्रावधानों, अनुच्छेदों 49-51 में परिवर्तनीय लिखतों के प्रावधानों, अनुच्छेदों 58-61 में उन प्रावधानों जिनमें साधारण शेयरों या नकदी से अनुबंधों का निपटान किया जा सकता है या अन्य प्रावधानों से जो उचित हों, का अनुसरण करने हुए प्रति शेयर अविमिश्रित की गणना पर क्या प्रभाव पड़ेगा ।

लेकिन, प्रयोग अथवा परिवर्तन को प्रति शेयर अविमिश्रित अर्जनों की गणना के प्रयोजन के लिए तब तक नहीं माना जाता है जब तक इसी प्रकार के बकाया संभाव्य साधारण शेयरों के जो आकस्मिक निर्गमयोग्य नहीं हैं, प्रयोग अथवा परिवर्तन को माना गया है।

अनुबंध जिन्हें साधारण शेयरों अथवा नकद रूप में निपटाया जा सकता है

58. जब एक प्रतिष्ठान ने एक अनुबंध को जारी किया जिसे प्रतिष्ठान के विकल्प पर साधारण शेयरों अथवा नकद में निपटाया जा सकता है, प्रतिष्ठान परिकल्पना कर सकता है कि अनुबंध को साधारण शेयरों में निपटाया जा सकता है तथा परिणामतया संभाव्य साधारण शेयरों को प्रति शेयर अविमिश्रित में सम्मिलित किया जाएगा यदि प्रभाव अविमिश्रित है।
59. जब एक आस्ति अथवा दायित्व के रूप में लेखा प्रयोजनों के लिए अनुबंध को प्रस्तुत किया जाता है अथवा जो एक 'इक्विटी' घटक तथा एक दायित्व घटक रखता है, तो प्रतिष्ठान लाभ अथवा हानि में किन्हीं परिवर्तनों के लिए विभाज्य (न्यूमिरेटर) को समायोजित करेगा जोकि

अवधि के दौरान परिणत होगा यदि अनुबंध को एक 'इक्विटी' लिखत के रूप में पूर्ण रूप से वर्गीकृत किया गया है। वह समायोजन उन समायोजनों के समान है जो अनुच्छेद 33 में अपेक्षित है।

60. अनुबंधों जिन्हें धारक के विकल्प पर साधारण शेयर अथवा नकद रूप में निपटान किया जा सकता है, नकद निपटान तथा शेयर निपटान के अधिक अविमिश्रित को प्रति शेयर अविमिश्रित अर्जनों की गणना में प्रयुक्त किया जायेगा।
61. अनुबंध का एक उदाहरण जिसे साधारण शेयरों अथवा नकद में निपटान किया जा सकता है वह एक ऋण लिखत है। परिपक्वता पर प्रतिष्ठान को नकद अथवा स्वयं के साधारण शेयरों में मूल धन का निपटान का सीमित अधिकार देता है। एक अन्य उदाहरण लिखित बिक्री (पुट) विकल्प है जो धारक को साधारण शेयरों अथवा नकद में निपटान का विकल्प देता है।

क्रय विकल्प

62. क्रय किये गये बिक्री विकल्प (पुट ऑप्शनस) तथा क्रय किये गये मांग विकल्प (कॉल ऑप्शनस) (अर्थात् एक प्रतिष्ठान द्वारा अपने साधारण शेयरों पर धारित विकल्प) जैसे अनुबंधों को प्रति शेयर अविमिश्रित (डायल्यूटेड) अर्जन की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता क्योंकि उन्हें सम्मिलित करना अनविमिश्रित (एन्टी डायल्यूटिव) होगा। बिक्री (पुट) विकल्प का तभी प्रयोग किया जायेगा यदि प्रयोग मूल्य बाजार मूल्य से अधिक हो तथा मांग विकल्पों (काल ऑप्शनस) का उपयोग तभी किया जाएगा यदि उपयोग मूल्य बाजार मूल्य से कम रहा हो।

लिखित बिक्री (पुट)विकल्प

63. अनुबंधों जिनमें प्रतिष्ठान से यह अपेक्षा रहती है कि वह स्वयं के शेयरों को, जैसे कि लिखित बिक्री (पुट)विकल्प तथा वायदा क्रय अनुबंध को पुनः क्रय कर ले, प्रति शेयर अविमिश्रित अर्जन की गणना में दर्शाया जाता है बशर्ते प्रभाव अविमिश्रित है। यदि ये अनुबंधों अवधि के दौरान 'धन में' हैं (अर्थात् प्रयोग अथवा निपटान कीमत उस अवधि में औसत बाजार मूल्य से ऊपर है) प्रति शेयर अर्जन पर संभाव्य अविमिश्रित प्रभाव की गणना इस प्रकार की जायगी :

- (क) यह कल्पना की जाएगी कि अवधि के आरंभ में अनुबंध को पूरा करने के लिए आय को बढ़ाने के लिए पर्याप्त साधारण शेयरों को जारी किया जाएगा (अवधि के दौरान औसत बाजार मूल्य पर);
- (ख) यह कल्पना की जाएगी कि निर्गम से प्राप्तियों को अनुबंध को पूरा करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है (अर्थात् साधारण शेयरों को वापस क्रय करने हेतु); तथा

- (ग) वृद्धिशील साधारण शेयर (जारी कल्पित साधारण शेयरों की संख्या तथा अनुबंध की संतुष्टि से प्राप्त साधारण शेयरों की संख्या के बीच अंतर) को प्रति शेयर अविमिश्रित अर्जनों की गणना में सम्मिलित किया जाएगा ।

पूर्ववर्ती समायोजन

64. यदि पूंजीकरण, बोनस निर्गम अथवा शेयर विभाजन के कारण साधारण शेयरों अथवा संभाव्य साधारण शेयरों की संख्या में वृद्धि होती है अथवा प्रतिकूल शेयर विभाजन के परिणामस्वरूप कमी होती है तो प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए प्रति शेयर मूल तथा अविमिश्रित अर्जनों को गणना को पूर्वव्यापी प्रभाव से समायोजित किया जाएगा। यदि ये परिवर्तन रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात परंतु निर्गम के लिए वित्तीय विवरण को अनुमोदित करने से पूर्व उत्पन्न होते हैं, उन तथा प्रस्तुत किसी गत अवधि के वित्तीय विवरणों के लिए प्रति शेयर गणना शेयरों की नई संख्या पर आधारित होगी। तथापि प्रति शेयर गणना शेयरों की संख्या में इस प्रकार के परिवर्तन प्रतिबिम्बित होते हैं, को प्रकट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत सभी अवधि की मूल तथा अविमिश्रित अर्जनों को लेखांकित लेखा लेखा नीतियों में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, समायोजन तथा त्रुटि के प्रभाव के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव से समायोजित किया जाएगा।
65. एक प्रतिष्ठान प्रति शेयर अर्जन गणना अथवा संभाव्य साधारण शेयरों का साधारण शेयरों में परिवर्तन के लिए प्रयुक्त अनुमानों में परिवर्तन के लिए प्रस्तुत किसी गत अवधि के प्रति शेयर अविमिश्रित को पुनः प्रस्तुत नहीं करता।

प्रस्तुतिकरण

66. एक प्रतिष्ठान अवधि के लिए लाभ में भिन्न अधिकार रखने वाले साधारण शेयरों के प्रत्येक वर्ग के लिए अवधि हेतु मूल प्रतिष्ठान के साधारण 'इक्विटी' धारकों से संबंधित चालू परिचालनों से लाभ अथवा हानि के लिए प्रति शेयर मूलभूत तथा अविमिश्रित अर्जनों को लाभ व हानि विवरण में प्रस्तुत करेगा। एक प्रतिष्ठान प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए बराबर के महत्व के साथ प्रति शेयर मूल तथा अविमिश्रित अर्जन को प्रस्तुत करेगा।
67. प्रति शेयर अर्जन को प्रत्येक अवधि के लिए प्रस्तुत किया जाता है जिसके लिए लाभ तथा हानि विवरण प्रस्तुत किया है। यदि प्रति शेयर अविमिश्रित अर्जनों को कम से कम एक अवधि के लिए रिपोर्ट किया जाता है इसे प्रस्तुत सभी अवधि के लिए प्रस्तुत किया जाएगा चाहे यह प्रति शेयर मूल अर्जन के बराबर है। यदि प्रति शेयर मूल तथा अविमिश्रित अर्जन बराबर हैं तो दोहरे प्रस्तुतिकरण को लाभ तथा हानि के विवरण में एक लाइन में प्रस्तुत किया जा सकता है।

67क [देखें परिशिष्ट 1]

68. एक प्रतिष्ठान जो बंद परिचालनों को रिपोर्ट करता है या तो लाभ तथा हानि के विवरण में अथवा टिप्पणियों में बंद परिचालनों के लिए प्रति शेयर मूल तथा अविमिश्रित राशि को प्रकट करेगा।

68क [देखें परिशिष्ट 1]

69. एक प्रतिष्ठान प्रति शेयर मूल तथा अविमिश्रित को प्रस्तुत करेगा चाहे राशियां नकारात्मक हों (अर्थात् प्रति शेयर हानि)

प्रकटन

70. एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित को प्रकट करेगा :

(क) प्रति शेयर मूल तथा अविमिश्रित की गणना में विभाज्य (न्यूमरेटर) के रूप में प्रयुक्त राशियां तथा अवधि के लिए मूल प्रतिष्ठान से जुड़े लाभ अथवा हानि की उन राशियों का एक समाधान। समाधान लिखतों की प्रत्येक श्रेणी का व्यक्तिगत प्रभाव सम्मिलित होगा जो प्रति शेयर अर्जन को प्रभावित करता है।

(ख) प्रति शेयर मूल तथा अविमिश्रित अर्जन की गणना में मानक के रूप में प्रयुक्त साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या तथा एक अन्य से इन मानकों का समाधान (मिलान) । समाधान में लिखतों की प्रत्येक श्रेणी का व्यक्तिगत प्रभाव सम्मिलित होगा जो प्रति शेयर अर्जन को प्रभावित करता है।

(ग) लिखतें (आकस्मिक रूप से निर्गमयोग्य शेयरों सहित) जो संभाव्य रूप से भविष्य में प्रति शेयर मूल अर्जन को अविमिश्रित कर सकती हैं, परंतु प्रति शेयर अविमिश्रित (डायल्यूटिव) की गणना में सम्मिलित नहीं की जा सकती क्योंकि वे प्रस्तुत अवधियों के लिए अनविमिश्रित (एन्टी-डायल्यूटिव) हैं।

(घ) अनुच्छेद 64 के अनुसार लेखांकित के अतिरिक्त साधारण शेयर लेन-देनों अथवा संभाव्य साधारण शेयर लेन-देनों के ब्यौरे जो रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात होते हैं तथा जिनके अवधि के अंत में बकाया साधारण शेयरों अथवा संभाव्य बकाया शेयरों की संख्या को उल्लेखनीय रूप से परिवर्तित किया है यदि वे लेन-देन रिपोर्टिंग अवधि के अंत से पूर्व बकाया हुए होते।

71. अनुच्छेद 70 (घ) में लेन-देनों के उदाहरणों में निम्न सम्मिलित हैं:

(क) नकदी के लिए शेयरों का एक निर्गम ;

- (ख) शेयरों का एक निर्गम जब प्राप्तियों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया ऋण अथवा अधिमान शेयरों के पुनर्भुगतान के लिए प्रयुक्त किया जाता है ;
- (ग) बकाया साधारण शेयरों का विमोचन ;
- (घ) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया संभाव्य साधारण शेयरों का साधारण शेयरों में परिवर्तन अथवा प्रयोग ;
- (ङ.) विकल्पों, वारंटों अथवा परिवर्तनीय लिखतों का निर्गम ; तथा
- (च) शर्तों की उपलब्धि जो आकस्मिक रूप से निर्गम योग्य शेयरों में परिणामस्वरूपी होगी। प्रति शेयर अर्जन राशियों को रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात हुए इस प्रकार के लेन-देनों के लिए समायोजित नहीं किया जाता क्योंकि इस प्रकार के लेन देन अवधि के लिए लाभ अथवा हानि को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त पूंजी की राशि को प्रभावित नहीं करते।
72. वित्तीय लिखतें तथा अन्य अनुबंध संभाव्य साधारण शेयरों का सृजन कर रहे हैं वे उन शर्तों को समेकित कर सकती हैं जो प्रति शेयर मूल तथा अविमिश्रित अर्जनों को प्रभावित करते हैं। ये शर्तें निर्धारित कर सकती हैं कि क्या कोई संभाव्य साधारण शेयर अविमिश्रित हैं अथवा नहीं तथा यदि ऐसा है तो बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या पर प्रभाव तथा साधारण 'ईक्विटी' धारकों से संबंधित लाभ अथवा हानि का कोई परिणामस्वरूपी: समायोजन। इस प्रकार की वित्तीय लिखत तथा अन्य अनुबंधों की शर्तों के प्रकटन को प्रोत्साहित किया जाता है चाहे यह अन्यथा आवश्यक नहीं है। (देखें भारतीय लेखा मानक 32, वित्तीय लिखतें : प्रकटन) ।
73. यदि एक प्रतिष्ठान प्रति शेयर मूल तथा अविमिश्रित अर्जनों के अतिरिक्त इस मानक के द्वारा अपेक्षित के अतिरिक्त लाभ तथा हानि के विवरण की रिपोर्टिंग घटक का प्रयोग कर प्रति शेयर राशि को प्रकट करता है तो इस प्रकार की राशि की गणना इस मानक के अनुसार निर्धारित साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या का उपयोग कर गणना की जायेगी। इस प्रकार के घटक से संबंधित प्रति शेयर मूल तथा अविमिश्रित राशि को बराबर के महत्व के साथ प्रकट किया जाएगा तथा टिप्पणी में प्रस्तुत किया जाएगा। एक प्रतिष्ठान उन आधारों का संकेत देगा जिस पर विभाज्य [न्यूमरेटर(i)] का निर्धारण किया गया है, जिसमें प्रति शेयर राशि कर पूर्व है अथवा करोपरान्त है । यदि लाभ तथा हानि के विवरण का घटक को प्रयुक्त किया गया है जिसे लाभ तथा हानि के विवरण में लाईन मद के रूप में रिपोर्ट नहीं किया है तो प्रयुक्त घटक तथा लाभ व हानि के विवरण में रिपोर्ट की गई लाईन मद के बीच एक समाधान (मिलान) प्रदान किया जायेगा।

73 क [देखें परिशिष्ट 1]।

परिशिष्ट क

प्रयोग-संबंधी दिशा-निर्देश

यह परिशिष्ट इस मानक का अभिन्न अंग है

मूल प्रतिष्ठान से संबंधित लाभ अथवा हानि

- प्र 1 समेकित वित्तीय विवरणों पर आधारित प्रति शेयर अर्जन की गणना के प्रयोजन के लिए, मूल प्रतिष्ठान से संबंधित लाभ अथवा हानि गैर नियंत्रण हितों के लिए समायोजन के पश्चात समेकित प्रतिष्ठान का लाभ अथवा हानि कहलाता है।

अधिकार निर्गम

- प्र 2 संभाव्य साधारण शेयरों के प्रयोग अथवा परिवर्तन के समय पर साधारण शेयरों का निर्गम प्रायः बोनस तत्व को बढ़ावा नहीं देता है। यह इसलिए क्योंकि संभाव्य साधारण शेयरों को प्रायः उचित मूल्य के लिए जारी नहीं किया जाता, जिसका परिणाम प्रतिष्ठान को उपलब्ध संसाधन में आनुपातिक परिवर्तन है। अधिकार निर्गम में, यद्यपि प्रयोग मूल्य प्रायः शेयरों के उचित मूल्य से कम है, इसलिए, जैसा अनुच्छेद 27 (ख) में नोट किया गया है, इस प्रकार के अधिकार निर्गम में बोनस तत्व सम्मिलित होता है। यदि अधिकार निर्गम को सभी विद्यमान शेयरधारकों को प्रस्तुत किया जाता है तो अधिकार निर्गम से पूर्व सभी अवधि के लिए प्रति शेयर मूल तथा अविमिश्रित अर्जनों की गणना में प्रयुक्त साधारण शेयरों की संख्या निर्गम के पूर्व बकाया साधारण शेयरों की संख्या है जिसे निम्न फैक्टर से गुणा किया जाता है।

अधिकारों के प्रयोग से एकदम पूर्व प्रति शेयर उचित मूल्य
प्रति शेयर सैद्धांतिक अधिकार पूर्व उचित मूल्य

प्रति शेयर सैद्धांतिक अधिकार-पूर्व उचित मूल्य की गणना अधिकार के प्रयोग से एकदम पूर्व शेयरों का योग उचित मूल्य में अधिकार के प्रयोग से राशि को जोड़कर तथा अधिकार के प्रयोग के पश्चात बकाया शेयरों की संख्या द्वारा विभाजित करके की जाती है। जहां पर अधिकार उपयोग तिथि से पूर्व शेयरों से पृथक सार्वजनिक रूप से, व्यापारित होते हैं, उचित मूल्य को अधिकारों के साथ ट्रेड (खरीद-फरोक्त) किये गये शेयरों की तिथि को अंतिम मूल्य पर मापा जाता है।

नियंत्रण संख्या

- प्र 3 अनुच्छेदों 42 तथा 43 में वर्णित नियंत्रण संख्या धारणा के लागू होने के दृष्टांत के लिए मान लें कि मूल प्रतिष्ठान से संबंधित चालू परिचालनों से रुपये 4800 का प्रतिष्ठान को लाभ है, मूल प्रतिष्ठान से संबंधित बन्द परिचालनों के प्रतिष्ठान को (रु 7200) की हानि है मूल प्रतिष्ठान से जुड़ी हानि (रु 2400) है तथा 2000 के साधारण शेयर तथा 400 के संभाव्य साधारण शेयर बकाया हैं। प्रति शेयर जारी परिचालनों के लिए प्रतिष्ठान की मूल प्राप्तियां रुपये 2.40 हैं बन्द परिचालनों के लिए (रु 3.60) है तथा हानि के लिए (रु 1.20) है। प्रति शेयर अविमिश्रित प्राप्तियों की गणना में 5400 संभाव्य साधारण शेयरों को सम्मिलित किया जाता है क्योंकि जारी परिचालनों के लिए प्रति शेयर रु 200 की परिणामस्वरूपी प्राप्तियां अविमिश्रित हैं, मानो 400 संभाव्य साधारण शेयरों का कोई लाभ अथवा हानि प्रभाव नहीं है क्योंकि मूल प्रतिष्ठान से संबंधित चालू परिचालनों से लाभ नियंत्रण संख्या है। प्रतिष्ठान प्रति शेयर अन्य प्राप्ति राशियों की गणना में उन 400 संभाव्य साधारण शेयरों को भी सम्मिलित करता है भले ही प्रति शेयर राशियों की परिणामस्वरूपी प्राप्तियां प्रति शेयर राशियों की उनकी तुलनात्मक रूप से मूलभूत प्राप्तियों के प्रति अनविमिश्रित (एन्टी-डायल्यूटिव) हैं अर्थात् प्रति शेयर हानि बंद परिचालनों से प्रति शेयर (रु 3.00) कम है तथा हानि के लिए प्रति शेयर (रु 1.00) है।

साधारण शेयरों का औसत बाजार मूल्य

- प्र 4 प्रति शेयर अविमिश्रित अर्जनों की गणना के प्रयोजन के लिए, जारी किये जाने वाले कल्पित साधारण शेयरों के औसत बाजार मूल्य की गणना अवधि के दौरान साधारण शेयरों के औसत बाजार मूल्य पर की जाती है। सैद्धांतिक रूप से, एक प्रतिष्ठान का साधारण शेयरों के लिए प्रत्येक बाजार लेन-देन को औसत बाजार मूल्य के निर्धारण में सम्मिलित किया जा सकता है। व्यावहारिक मामले के रूप में, तथापि, साप्ताहिक अथवा मासिक मूल्यों की एक सरल औसत प्रायः पर्याप्त होती है।
- प्र 5 सामान्यता, औसत बाजार मूल्य की गणना के लिए बाजार के बंद होने के समय के मूल्य पर्याप्त हैं। जब मूल्य में व्यापक रूप से उतार चढ़ाव होता है, तथापि, प्रायः उच्च तथा कम न्यून मूल्यों का औसत अधिक प्रतिनिधित्व मूल्य को प्रस्तुत करता है। औसत बाजार मूल्य की गणना के लिए प्रयुक्त पद्धति का सतत रूप से तब तक प्रयोग किया जाता है जब तक यह बदली परिस्थितियों के कारण अन्य प्रतिनिधित्व न करती हो। उदाहरण के लिए, एक प्रतिष्ठान जो तुलनात्मक रूप से स्थिर मूल्य का कई वर्षों से औसत बाजार मूल्य की गणना के लिए अंतिम बाजार मूल्य का उपयोग करता है उच्च तथा न्यूनतम मूल्य का औसत में परिवर्तन कर सकता है यदि मूल्य में अत्यधिक उतार चढ़ाव आता है तथा बंद बाजार मूल्य अब प्रतिनिधि औसत मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करती है।

विकल्प, वारंट तथा उसके समतुल्य

- प्र 6 विकल्पों अथवा परिवर्तनीय लिखतों को क्रय करने हेतु वारंटों को परिवर्तनीय लिखतों के क्रय के उपयोग के लिए माना जाता है जब प्रयोग की तब तक कल्पना नहीं की जाती जब तक इसी प्रकार की बकाया परिवर्तनीय लिखतें यदि कोई हैं, के परिवर्तन की भी कल्पना की गई हो। लेकिन, परिवर्तन की कल्पना तब तक नहीं की जा सकती जब तक इसी प्रकार की बकाया परिवर्तनीय लिखतों के परिवर्तन की, यदि कोई हैं, कल्पना न की जाए।
- प्र 7 विकल्प अथवा वारंट प्रयोग मूल्य के सभी अथवा अंश के भुगतान में प्रतिष्ठान (अथवा इसका मूल अथवा एक अनुषंगी प्रतिष्ठान) की ऋण अथवा अन्य लिखतों को प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है अथवा अनुमति दे सकता है। प्रति शेयर तन अर्जनों की गणना में, उपरोक्त विकल्प अथवा वारंट का अविमिश्रित प्रभावित होता है यदि (क) अवधि के लिए संबंधित साधारण शेयरों की औसत बाजार मूल्य प्रयोग मूल्य से अधिक हो जाती है अथवा (ख) प्रस्तुत की जाने वाली लिखतों की बिक्री मूल्य उस मूल्य से कम है जिसे विकल्प अथवा वारंट करार के अंतर्गत प्रस्तुत किया जा सकता है तथा परिणामतया बट्टा उपयोग पर प्राप्य साधारण शेयरों की बाजार मूल्य से कम पर एक प्रभावी उपयोग मूल्य को स्थापित करता है। प्रति शेयर अविमिश्रित अर्जनों की गणना में, उन विकल्पों अथवा वारंटों को प्रयोग किया माना जाता है तथा ऋण अथवा अन्य लिखतों को प्रस्तुत किया माना जाता है। यदि नकद को प्रस्तुत करना विकल्प अथवा वारंट धारकों के लिए अधिक लाभप्रद है तथा अनुबंध नकद को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है, नकदी की प्रस्तुति ग्रहण की जाती है। प्रस्तुत किये जाने वाले किसी ग्रहण किये गये ऋण पर ब्याज (कर का शुद्ध) को न्यूमिरेटर के समायोजन के रूप में वापस जोड़ा जाता है।
- प्र 8 इसी प्रकार का संव्यवहार अधिमान शेयरों को जिनका उसी तरह का प्रावधान है अथवा अन्य प्रलेख जिनका परिवर्तन विकल्प है को दिया जाता है जो निवेशक को एक अनुकूल परिवर्तन दर लिये नकद के भुगतान की अनुमति देता है।
- प्र 9 कुछ लिखतों अथवा वारंटों की अंतर्निहित शर्तों में उन लिखतों के प्रयोग से प्राप्त राशियों की अपेक्षा की जा सकती है जोकि प्रतिष्ठान के ऋण अथवा अन्य लिखतों के विमोचन के लिए प्रयोग में लायी जाती हैं। प्रति शेयर अविमिश्रित प्राप्तियों के आकलन में उन विकल्पों अथवा वारंटों को प्रयोग किया गया माना जाता है तथा साधारण शेयरों की खरीद के बजाय इसकी औसत बाजार मूल्य पर ऋ.ण के क्रय हेतु प्राप्तियों को प्रयोग में लाया जाता है। तथापि ऋण की कल्पित खरीद के लिय प्रयुक्त राशि से अधिक कल्पित प्रयोग से प्राप्त अधिक्त्य प्राप्तियों को प्रति शेयर अविमिश्रित प्राप्तियों की गणना में विचार में लिया जाता है (अर्थात् साधारण शेयरों की वापस खरीद हेतु प्रयोग में लाये जाने के लिए कल्पित)

खरीदे गये कल्पित किसी ऋण पर ब्याज (कर का शुद्ध) को विभाज्य (न्यूमेरेटर) के समायोजन के रूप में वापस जोड़ा जाता है)।

लिखित 'पुट' विकल्प

- प्र10 अनुच्छेद 63 के लागू करने के दृष्टांत के लिए, कल्पना करें कि एक प्रतिष्ठान 35 रु. के एक प्रयोग मूल्य के साथ अपने साधारण शेयरों पर बकाया 120 लिखित 'पुट' विकल्प है। अवधि के लिए इसके साधारण शेयरों का औसत बाजार मूल्य 28 रु. है। प्रति शेयर अविमिश्रित अर्जनों की गणना में प्रतिष्ठान कल्पना करता है कि इसने 4200 रु. के 'पुट' दायित्व को संतुष्ट करने के लिए अवधि के आरंभ में 28 रु. प्रति शेयर 150 शेयरों को निर्गमित किया है। निर्गमित 150 साधारण शेयरों तथा 'पुट' विकल्प को संतुष्ट करने के लिए प्राप्त 120 साधारण शेयरों (30 वृद्धिगत साधारण शेयर) के बीच अंतर को प्रति शेयर अविमिश्रित अर्जनों की गणना में डेनोमिनेटर में जोड़ा जाता है।

अनुषंगी प्रतिष्ठानों, संयुक्त उद्यमों अथवा सहयोगी प्रतिष्ठानों की लिखतें

- प्र 11 अनुषंगी प्रतिष्ठान, संयुक्त उद्यम अथवा सहयोगी प्रतिष्ठान के संभाव्य साधारण शेयरों को या तो अनुषंगी प्रतिष्ठान, संयुक्त उद्यम अथवा सहयोगी प्रतिष्ठान में या मूल, प्रतिष्ठान अथवा ऐसे निवेशक जिनका निवेशिती के साथ संयुक्त नियंत्रण है या उस पर महत्वपूर्ण प्रभाव है (रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान) में परिवर्तनीय को नीचे दिये अनुसार प्रति शेयर अविमिश्रित अर्जनों की गणना में सम्मिलित किया जाता है :

- (क) एक अनुषंगी प्रतिष्ठान, संयुक्त उद्यम अथवा सहयोगी प्रतिष्ठान द्वारा जारी लिखतों जो उनके धारकों को अनुषंगी प्रतिष्ठान, संयुक्त उद्यम अथवा सहयोगी प्रतिष्ठान के साधारण शेयरों को प्राप्त करने के लिए समर्थन करता है, को अनुषंगी प्रतिष्ठान, संयुक्त उद्यम अथवा सहयोगी प्रतिष्ठान की प्रति शेयर अविमिश्रित डाटा की गणना में सम्मिलित किया जाता है। उन प्रति शेयर अविमिश्रित प्राप्तियों को तब अनुषंगी प्रतिष्ठान, संयुक्त उद्यम अथवा सहयोगी प्रतिष्ठान की लिखतों को रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान की प्राप्तियों में सम्मिलित किया जाता है।
- (ख) अनुषंगी प्रतिष्ठान, संयुक्त उद्यम अथवा सहयोगी प्रतिष्ठान की लिखतें जोकि रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान के साधारण शेयरों में परिवर्तनीय हैं, को प्रति शेयर अविमिश्रित अर्जनों की गणना के प्रयोजन के लिए रिपोर्टिंग को संभाव्य साधारण शेयरों को विचार में लिया जाता है। इसी प्रकार अनुषंगी प्रतिष्ठान, संयुक्त उद्यम अथवा सहयोगी प्रतिष्ठान द्वारा भी विकल्पों अथवा वारंटों को रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान के

साधारण शेयरों की खरीद के लिए, प्रति शेयर समेकित अविमिश्रितों की गणना में रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान के भावी साधारण शेयरों के बीच विचार में लिया जाता है।

- प्र 12 रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान द्वारा जारी लिखतें जो एक अनुषंगी प्रतिष्ठान, संयुक्त उद्यम अथवा सहयोगी प्रतिष्ठान के साधारण शेयरों में परिवर्तनीय हैं का प्रति शेयर अर्जन प्रभाव के निर्धारण के उद्देश्य के लिए, लिखतों में परिवर्तन किया माना गया है तथा अनुच्छेद 33 के अनुसार जैसा आवश्यक है, विभाज्य (न्यूमरेटर) (मूल प्रतिष्ठान का साधारण 'इक्विटी' धारकों से संबंधित लाभ अथवा हानि) को समायोजित किया गया है।

उन समायोजनों के अतिरिक्त, विभाज्य (न्यूमरेटर) को रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान द्वारा रिकार्ड किए लाभ अथवा हानि (जैसे लाभांश आय अथवा 'इक्विटी' पद्धति आय) में परिवर्तन के लिए समायोजित किया जाता है जोकि ग्रहण किये गये परिवर्तन के परिणामस्वरूप अनुषंगी प्रतिष्ठान, संयुक्त उद्यम अथवा सहयोगी प्रतिष्ठान की बकाया के साधारण शेयरों की संख्या में वृद्धि से संबंधित है। प्रति शेयर अविमिश्रित अर्जनों की गणना का विभाजक प्रभावित नहीं होता क्योंकि रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान के बकाया साधारण शेयरों की संख्या ग्रहण किये गये परिवर्तन से नहीं बदलता।

सहभागी 'इक्विटी' लिखतें तथा द्वि-वर्गीय साधारण शेयर

- प्र 13 कुछ प्रतिष्ठान निम्नलिखित को 'इक्विटी' में शामिल करते हैं :

(क) लिखत जो एक समय सहभागिता की उच्च सीमा (उदाहरण के लिए, प्रति शेयर पर विनिर्दिष्ट राशि तक परंतु उससे आगे नहीं) के साथ पूर्व निर्धारित फार्मूला (उदाहरण के लिए, एक के लिए दो) के अनुसार साधारण शेयरों के साथ लाभांश में सहभागिता करती है।

(ख) साधारण शेयरों की एक अन्य श्रेणी से भिन्न लाभांश दर के साथ साधारण शेयरों की एक श्रेणी परंतु पूर्व अथवा वरिष्ठ अधिकारों के बिना।

- प्र 14 प्रति शेयर अविमिश्रित अर्जनों की गणना के प्रयोजन के लिए, अनुच्छेद क 13 में वर्णित उन लिखतों के लिए परिवर्तन की कल्पना की है। उन लिखतों के लिए जो साधारण शेयरों की श्रेणी में परिवर्तनीय नहीं है, अवधि के लिए लाभ अथवा हानि को प्रति शेयर मूल तथा अविमिश्रित अर्जनों की गणना के लिए कल्पना की जाती हो साधारण शेयरों में परिवर्तनीय है यदि प्रभाव अविमिश्रित है। उन लिखतों के लिए जोकि शेयरों की विभिन्न श्रेणियों में

परिवर्तनीय नहीं हैं अवधि के लिए लाभ अथवा हानि को शेयरों की विभिन्न श्रेणियों तथा सहभागी 'इक्विटी' लिखतों में असंवितरित प्राप्तियों में सहभागिता हेतु उनके लाभांश अधिकारों अथवा अधिकारों के अनुसार आवंटित किया जाता है।

- (क) मूल प्रतिष्ठान के साधारण 'इक्विटी' धारकों से संबंधित लाभ अथवा हानि को (लाभ को घटाकर तथा हानि को बढ़ाकर) को शेयरों की प्रत्येक श्रेणी के लिए अवधि में घोषित लाभांश की राशि तथा लाभांश की संविदात्मक राशि (अथवा सहभागी बॉण्ड पर ब्याज) जिसका अवधि के लिए भुगतान करना चाहिए (उदाहरण के लिए, बिना भुगतान संचयी लाभांश) के लिए समायोजित करना चाहिए।
- (ख) शेष लाभ अथवा हानि को इस सीमा तक साधारण शेयरों तथा सहभागी इक्विटी शेयरों में आवंटित करता है कि प्रत्येक प्रलेख शेयरों के अर्जन में हिस्सा रखता है जैसे अवधि के लिए सभी लाभ अथवा हानि को वितरित कर दिया है। 'इक्विटी' प्रलेख का प्रत्येक श्रेणी को आवंटित राशि तथा सहभागिता विशेषता के लिए आवंटित राशि को छोड़कर निर्धारित की जाती है।
- (ग) लिखतों को प्रति शेयर अर्जन के निर्धारण के लिए 'इक्विटी' लिखत की प्रत्येक श्रेणी से आवंटित लाभ अथवा हानि की कुल राशि को बकाया लिखतों की संख्या, जिसमें लिखत की प्रति शेयर अर्जन को आवंटित किया जाता है।

प्रति शेयर अविमिश्रित अर्जनों की गणना के लिए, सभी संभाव्य साधारण शेयर को, जिन्हें यह माना गया है कि वे जारी कर दिये गये हैं, बकाया साधारण शेयरों में सम्मिलित कर दिया जाता है।

आंशिक प्रदत्त शेयर

- प्र15 जहां पर साधारण शेयरों को जारी तो कर दिया गया है परंतु पूर्ण अदायगी नहीं की गई है उन्हें प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना में साधारण शेयर के एक हिस्से के रूप में उस सीमा तक माना जाता है कि वे एक पूर्णतया प्रदत्त शेयर की तुलना में अवधि के दौरान लाभांश में सहभागिता के लिए हकदार थे।
- प्र16 उस सीमा तक आंशिक रूप से प्रदत्त शेयर अवधि के दौरान लाभांश में सहभागिता के लिए हकदार नहीं है, को प्रति शेयर अविमिश्रित अर्जनों की गणना में वारंट अथवा विकल्प के समतुल्य माना गया है। बकाया शेष को साधारण शेयरों के क्रय में प्रयुक्त राशि को प्रतिनिधित्व के रूप में माना गया है। प्रति शेयर अविमिश्रित अर्जनों में सम्मिलित शेयरों

की संख्या अभिदल शेयरोँ की संख्या तथा क्रय के लिए कल्पित शेयरोँ की संख्या के बीच का अंतर है।

परिशिष्ट 1

टिप्पणी : यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र इतना है कि यदि भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 33 और तदनुसूची अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक (आईएस) 33 प्रति शेयर अर्जन के बीच कोई प्रमुख अंतर हैं तो उन्हें स्पष्ट किया जाये ।

अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक (आईएस) 33 प्रति शेयर अर्जन के साथ तुलना

1. अन्तरराष्ट्रीय लेखा-मानक 33 में यह व्यवस्था है कि जब एक प्रतिष्ठान समेकित वित्तीय विवरणों तथा पृथक वित्तीय विवरणों, दोनों को प्रस्तुत करता है तो वह प्रति शेयर अर्जन (ई पी एस) संबंधी सूचना केवल समेकित वित्तीय विवरणों में ही देता है जबकि भारतीय लेखा मानक 33 यह अपेक्षा करता है कि प्रति शेयर अर्जन (ई पी एस) संबंधी सूचना समेकित वित्तीय विवरणों व पृथक वित्तीय विवरणों दोनों में प्रकट की जाए ।
2. इसमें मौजूदा कानूनों से भिन्न शब्दावली का प्रयोग किया गया है। उदाहरणतया, शब्दों 'व्यापक आय का विवरण' के स्थान पर शब्दों 'लाभ-हानि विवरण' का प्रयोग किया गया है। इसी तरह, रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् की घटनाओं के प्रयोजन के लिए वित्तीय विवरणों के संदर्भ में 'वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए प्राधिकार' के स्थान पर शब्दों 'वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए अनुमोदन' का प्रयोग किया गया है।
3. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 33 का अनुच्छेद 2 यह अपेक्षा करता है कि संपूर्ण मानक निम्नलिखित पर लागू होता है :

(क) एक प्रतिष्ठान के पृथक या व्यक्तिगत वित्तीय विवरण :

- (i) जिसके साधारण शेयर या संभाव्य साधारण शेयर एक सार्वजनिक बाजार (स्थानीय व क्षेत्रीय बाजारों सहित एक स्थानीय या विदेशी स्टॉक एक्सचेंज या काउंटर पर बाजार) में खरीदे-बेचे (ट्रेड) किये जाते हैं ; अथवा
- (ii) वह अपने वित्तीय विवरणों को प्रतिभूतियों के विनियामक या अन्य विन्यामक संगठन के पास सार्वजनिक बाजार में साधारण शेयर जारी करने के लिए फाइल करता है या फाइल करने की प्रक्रिया में है, और

(ख) मूल प्रतिष्ठान सहित समूह के समेकित वित्तीय विवरण :

जिसके साधारण शेयर अथवा संभाव्य साधारण शेयर एक सार्वजनिक बाजार (स्थानीय व क्षेत्रीय बाजारों सहित एक स्थानीय या विदेशी स्टॉक एक्सचेंज या काउंटर पर मार्केट) में खरीदे-बेचे (ट्रेड) किये जाते हैं; अथवा

- (i) वह अपने वित्तीय विवरणों को प्रतिभूतियों के विनियामक या अन्य विनियामक संगठन के पास सार्वजनिक बाजार में साधारण शेयर जारी करने के लिए फाइल करता है या फाइल करने की प्रक्रिया में है, और

यह, यह भी अपेक्षा करता है कि एक प्रतिष्ठान जो प्रति शेयर अर्जन को प्रकट करता है वह इस मानक के अनुसरण में प्रति शेयर अर्जन की गणना व प्रकटन करेगा ।

भारतीय लेखा मानक में से उपर्युक्त को हटा दिया गया है क्योंकि भारतीय लेखा मानकों (इंड ए एस) की प्रयोज्यता या अपवाद कंपनी अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाई गयी नियमावली द्वारा अधिशासित होते हैं। लेकिन, भारतीय लेखा मानक 33 में अनुच्छेद संख्या को इस आशय से जारी रहने दिया गया है ताकि इस भारतीय लेखा मानक की अनुच्छेद संख्याओं की अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 33 की अनुच्छेद संख्याओं के साथ क्रमबद्धता बनी रहे ।

4. भारतीय लेखा मानक 33 के अनुच्छेद संख्या 4 को इस आशय से संशोधित कर दिया गया है कि एक प्रतिष्ठान समेकित वित्तीय विवरणों में दी गयी सूचना के आधार पर 'प्रति शेयर अर्जन' को पृथक वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत नहीं करेगा । इसी तरह, जैसे कि अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 33 में अपेक्षा है, कि पृथक वित्तीय विवरणों पर आधारित प्रति शेयर अर्जन सूचना को समेकित वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा ।
5. भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 33 में अनुच्छेद संख्या 12 के बाद एक अनुच्छेद इस प्रकार जोड़ दिया गया है अर्थात्:
"जहां आय या व्यय की मद जिसे भारतीय लेखा मानकों के अनुसरण में लाभ या हानि में अन्यथा मान्यता देना आवश्यक है उसे प्रतिशेयर मूल अर्जन की गणना के लिए प्रतिभूतियों के प्रीमियम खाता अन्य प्रारक्षितों के नामे डाला जाना है या जमा किया जाना है उसके संबंध में राशि चालू परिचालनों के लाभ या हानि में से काटी जाएगी" ।
6. भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 33 में अनुच्छेद 15 को एक वाक्य जोड़कर संशोधित किया गया है अर्थात् 'इस पर विचार किये बिना कि क्या इस प्रकार के बट्टा अथवा प्रीमियम को कानून की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रतिभूति प्रीमियम खाता में नामे (डेबिट) अथवा जमा (क्रेडिट) किया गया है या नहीं) ताकि आगे यह स्पष्ट किया जाए कि ऐसे बट्टा या प्रीमियम को प्राप्त अर्जन में परिशोधित किया जाएगा ।
7. जहां अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (इंड ए एस) 33 के निम्नलिखित अनुच्छेदों के अन्तर्गत एक पृथक आय विवरण प्रस्तुत किया जाता है, और पृथक आय विवरण में आधारभूत व सम्मिश्रित प्रति शेयर अर्जन और बन्द परिचालनों के एक पृथक आय विवरण में प्रति शेयर मूल एवं अविमिश्रित अर्जन की रिपोर्ट किये गये घटक का प्रयोग किये करते हुए प्रति शेयर की राशि के प्रकटन विषयक अपेक्षाएं हटा दी गयी हैं ;

- (i) अनुच्छेद 4 क
- (ii) अनुच्छेद 67 क
- (iii) अनुच्छेद 68 क
- (iv) अनुच्छेद 73 क

यह परिवर्तन भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 1 के द्वि-विवरण दृष्टिकोण विषयक विकल्प के हटाने के परिणामस्वरूप है। भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 1 यह अपेक्षा करता है लाभ या हानि के घटक और अन्य व्यापक आय के घटक लाभ हानि विवरण के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किये जाएंगे। फिर भी, भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 33 में उक्त अनुच्छेद संख्याओं को इस आशय से रहने दिया गया है ताकि उनकी क्रमबद्धता अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 33 की अनुच्छेद संख्याओं के साथ बनी रहे।

8. अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 33 की अनुच्छेद संख्या 25 को 'हटाया गया' के रूप में प्रदर्शित किया गया है। फिर भी, अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक (आई ए एस) 33 की अनुच्छेद संख्याओं के साथ क्रमबद्धता बनी रहे, अतः भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 33 में इस अनुच्छेद संख्या को रहने दिया गया है।